



यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2013

प्रलिस के लयः

[सर्वोच्च न्यायालय, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न \(रोकथाम, नषिध और नवारण\) अधिनियम, 2013, वशिखा दशिा-नरिदेश, वन सटॉप सेंटर योजना, नारी शकतऱपुरसकार](#)

मेन्स के लयः

भारत में महिला सुरक्षा से संबंघति पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, नषिध और नवारण) (Prevention of Sexual Harassment Act- PoSH) अधिनियम, 2013 के कार्यानवयन को लेकर चतिा व्यक्त की ।

- न्यायालय ने इस अधिनियम से संबंघति गंभीर खामयिों और अनश्चितताओं पर प्रकाश डाला है जिसके कारण कई कामकाजी महिलाओं को अपनी नौकरी छोड़ने के लयि मजबूर होना पड़ा ।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त प्रमुख चतिाएँ:

- PoSH अधिनियम के कार्यानवयन में गंभीर खामयिों और अनश्चितताएँ पाई गई हैं, उदाहरण के लयि 30 राष्ट्रीय खेल संघों में से केवल 16 संघों द्वारा अनवारय आंतरकि शकियत समतियिों (Internal Complaints Committees- ICCs) का गठन कयिा गया था ।
 - यह PoSH अधिनियम को लागू करने के लयि ज़मिेदार राज्य के अधिकारियिों, सार्वजनकि प्राधकिरणों, नजीी उपकरमों, संगठनों और संस्थानों पर खराब प्रभाव डालता है ।
- इन खामयिों के कारण महिलाओं के आत्मसम्मान, भावनात्मक कल्याण और शारीरकि स्वास्थय पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है । इसके अतरिकित यह महिलाओं को यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रपिोर्ट करने से हतोत्साहति करता है क्योंकि वै इसके परणाम के बारे में अनश्चिति होती है और उनमें न्याय व्यवस्था को लेकर वशिवास की कमी भी होती है ।
- सफिरशि:
 - यदि कार्यस्थल का माहौल शत्रुतापूर्ण, असंवेदनशील और अनुत्तरदायी बना रहता है, तो अधिनियम केवल औपचारकि बनकर रह जाएगा । कार्यस्थल पर महिलाओं की गरमा और सम्मान सुनश्चिति करने हेतु अधिनियम को प्रभावशाली रूप से लागू कयिा जाना चाहयि ।
 - प्रासंगकि नकियों ने अधिनियम के तहत ICC, स्थानीय समतियिों (LC) और आंतरकि समतियिों (IC) का गठन कयिा है या नही, यह सत्यापति करने के लयि एक समयबद्ध अभयास प्रकरयिा की आवश्यकता है ।
 - नकियों को अपनी संबंघति समतियिों का ववरण अपनी वेबसाइट्स पर प्रकाशति करने का नरिदेश दयिा गया है ।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी मंत्रालयों, नकियों को अधिनियम 2013 के आदेशों का पालन करने के लयि आठ सप्ताह का समय दयिा है ।

PoSH अधिनियम, 2013:

- परचिय:
 - PoSH अधिनियम 2013 में भारत सरकार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना कयिे जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दे को हल करने के लयि बनाया गया एक कानून है ।
 - अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लयि एक सुरक्षति और अनुकूल कार्य वातावरण बनाना तथा उन्हें यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है ।
 - PoSH अधिनियम यौन उत्पीड़न को परभाषति करता है जिसमें शारीरकि संपर्क और यौन प्रस्ताव, यौन अनुग्रह के लयि मांग या

अनुरोध, अश्लील टिपिणी करना, अश्लील चित्र दिखाना तथा किसी भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक व्यवहार जैसे अवांछित कार्य शामिल हैं।

- **पृष्ठभूमि:** सर्वोच्च न्यायालय ने वशिखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय में '[वशिखा दशा-नरिदेश](#)' जारी किया।
 - इन दशा-नरिदेशों में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, नषिध और नविवरण) अधिनियम, 2013 ("यौन उत्पीड़न अधिनियम") को आधार बनाया।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 15 (केवल धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ) सहित संविधान के कई प्रावधानों से शक्ति प्राप्त की, साथ ही प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और मानदंडों जैसे सामान्य अनुशंसाओं का भी चर्चा किया, जैसे कि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW), जिसे भारत ने वर्ष 1993 में अनुसमर्थित किया।
- **प्रमुख प्रावधान:**
 - **रोकथाम और नषिध:** अधिनियम कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न को रोकने और प्रतिक्रिया करने के लिये नियोक्ताओं पर कानूनी दायित्व डालता है।
 - **आंतरिक शिकायत समिति (ICC):** यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिये नियोक्ताओं को 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर एक ICC का गठन करना आवश्यक है।
 - शिकायत समितियों के पास साक्ष्य एकत्र करने के लिये दीवानी अदालतों की शक्तियाँ हैं।
 - **नियोक्ताओं के कर्तव्य:** नियोक्ताओं को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिये, एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना चाहिये और कार्यस्थल पर POSH अधिनियम के बारे में जानकारी प्रदर्शित करनी चाहिये।
 - **शिकायत तंत्र:** अधिनियम शिकायत दर्ज करने, पूछताछ करने और शामिल पक्षों को उचित अवसर प्रदान करने के लिये एक प्रक्रिया निर्धारित करता है।
 - **दंड:** अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान है, जिसमें जुर्माना और व्यवसाय लाइसेंस रद्द करना शामिल है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर जस्टिस वर्मा समिति की सफारिशें:

- घरेलू कामगारों को PoSH अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाना चाहिये।
- यह एक सुलभ प्रक्रिया का प्रस्ताव करता है जहाँ शिकायतकर्ता और प्रतिक्रिया को शुरू में बातचीत और समझौते के माध्यम से मुद्दे को हल करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।
- नियोक्ता को यौन उत्पीड़न का शिकार हुई महिला को मुआवजा देना चाहिये।
- PoSH अधिनियम में आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee- ICC) के बजाय एक रोजगार न्यायाधिकरण की स्थापना करना।

महिला सुरक्षा से संबंधित अन्य पहलें:

- [वन स्टॉप सेंटर योजना](#)
- उज्वला: तस्करी की रोकथाम और बचाव, तस्करी तथा वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ितों के पुनर्वास एवं पुनः एकीकरण हेतु व्यापक योजना
- [सुवाधार \(SWADHAR\) गृह](#) (कठिन परिस्थितियों में महिलाओं हेतु योजना)
- [नारी शक्ति पुरस्कार](#)

[स्रोत: द हिंदू](#)